(राजस्व वाद संख्या :–72/2020 अनवान सुरेश शाह बनाम अनिल कुमार वगैरह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 72/2020

सुरेश शाह पुत्र स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद शाह जाति अग्रवाल आयु लगभग 42 वर्ष निवासी आर.एस. 08, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 128, सैक्टर नम्बर 2, हनुमानगढ़ जंक्शन।
2. चन्द्रकला पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 128, सैक्टर नम्बर 2, हनुमानगढ़ जंक्शन।
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री नारायणराम जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 128, सैक्टर नम्बर 2, हनुमानगढ़ जंक्शन।
4. प्रमोद कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 128, सैक्टर नम्बर 2, हनुमानगढ़ जंक्शन।
5. फूलवन्ती पुत्री श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 128, सैक्टर नम्बर 2, हनुमानगढ़ जंक्शन।
6. रमेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 128, सैक्टर नम्बर 2, हनुमानगढ़ जंक्शन।
7. कानाराम पुत्र श्री बिशनाराम जाति कुम्हार निवासी गांव आलमगढ़, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
8. ग्यानदेव पुत्र श्री बिशनाराम जाति कुम्हार निवासी गांव जण्डवाला हनुमंता, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
9. देवीलाल पुत्र श्री बहादरराम जाति कुम्हार निवासी गांव जण्डवाला हनुमंता, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
10. महिन्द्रपाल पुत्र श्री बिशनाराम जाति कुम्हार निवासी गांव जण्डवाला हनुमंता, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
11. साहबराम पुत्र श्री बहादरराम जाति कुम्हार निवासी गांव जण्डवाला हनुमंता, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
12. सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री निरंजनलाल गोयल जाति अग्रवाल निवासी आर. क्यू. 12, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर।
13. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

कारी(राजस्व)
ानगर

Scanned with CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — वादी
2. श्री राम कुमार गोस्वामी — प्रतिवादी 12
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी–13

प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध दिनांक 20.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक :– 09.11.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है– वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 16 एम.एल., पटवार हल्का 11 एल.एन.पी., भू. अ. नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34/62, मुरब्बा नम्बर 19 में किला नम्बर 1/2 में 0.1010 है. नहरी, 2/1 में 0.0880 है. नहरी, 10 सालम 11 सालम, 20 सालम, 21 सालम कुल 1.2010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076 राजस्व रिकॉर्ड में मुश्तरका दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त भूमि को आगे वाद पत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 16 एम.एल., पटवार हल्का 11 एल.एन.पी., भू. अ. नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34/62, मुरब्बा नम्बर 19 में किला नम्बर 1/2 में 0.1010 है. नहरी, 2/1 में 0.0880 है. नहरी, 10 सालम 11 सालम, 20 सालम, 21 सालम कुल 1.2010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के नाम से 300/1201 हिस्सा मुश्तरका खाता रिकॉर्ड में दर्ज है एवं प्रतिवादीगण के नाम से भी उनके हिस्सानुसार कृषि भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज रिकॉर्ड है। वादाधीन कृषि भूमि महज राजस्व रिकॉर्ड में मुश्तरका दर्ज है जबकि काश्तकारान के द्वारा अर्सा समय से मौका पर भूमि का काश्त अनुसार मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है जिसके फलस्वरूप वादी के द्वारा जिन पूर्व खातेदारान अशोक कुमार पुत्र बेगचन्द 100/1201 हिस्सा, राजेन्द्र कुमार पुत्र बेगचन्द 100/1201 हिस्सा एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्र बेगचन्द 100/1201 हिस्सा उपरोक्तानुसार कुल 300/1201 हिस्सा खरीद किया है उनके कब्जा काश्त में वादाधीन कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 21 सालम एवं किला नम्बर 20 में लगभग 4 बिस्वा कृषि भूमि थी, जिनका कब्जा उक्त खातेदारान के द्वारा वादी के पक्ष में बैयनामा का पंजीयन करवाने के उपरान्त सुपुर्द किया एवं

धिकारी (राजस्व)
ंगानगर

Scanned with CamScanner

मुश्तरका खाता में वादी उक्त वर्णित भूमि पर बतौर खरीददार/खातेदार काबिज चला आ रहा है एवं विभाजन में उक्त भूमि पर अपना साधिकार कब्जा होने के फलस्वरूप अपने हिस्सा की उक्त भूमि का विभाजन करवा पाने एवं उक्त भूमि का अंकन अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में करवाकर लगान का निर्धारण करवा पाने का अधिकारी है। वाद की वादाधीन कृषि भूमि महज राजस्व रिकॉर्ड में मुश्तरका दर्ज है जबकि मौका पर प्रत्येक काश्तकार/सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा में आयी विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर की भूमि पर अपने अपने हिस्सानुसार काबिज एवं काश्त कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादाधीन कृषि भूमि संयुक्त दर्ज होने के कारण भूमि को काश्त करने एवं पूरी तरह से उपयोग उपभोग करने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कई मरतबा निवेदन किया कि भूमि का मौका पर मौखिक विभाजन अनुसार की गयी व्यवस्था एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाकर अपने अपने कब्जा में आयी भूमि पर अधिष्ठित हो जायें एवं पृथक पृथक जमाबन्दी बनवाकर लगान का पृथक पृथक निर्धारण करवाकर अलग अलग पानी की पर्ची बना लेवें जिससे कि काश्त करने में सहूलियत रहे। प्रतिवादीगण ऐसा करने से टालमटोल करते रहे तथा अन्ततः दिनांक 02.08. 2020 को संयुक्त खाता की वादाधीन कृषि भूमि का उपरोक्तानुसार विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस पर वादी को मौजूदा वाद विभाजन का प्रस्तुत करने का वाद हेतूक हासिल हुआ है। प्रतिवादी संख्या 13 को भी इस सम्बन्ध में निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 13 के द्वारा माननीय न्यायालय से विधिवत विभाजन करने का आदेश लाने का कहे जाने पर प्रतिवादी संख्या 13 के खिलाफ वादी को वाद हेतूक हासिल हुआ है। लिहाजा वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

क. कि प्रारम्भिक डिक्री विभाजन बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 16 एम.एल., पटवार हल्का 11 एल.एन.पी., भू. अ. नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34/62, मुरब्बा नम्बर 19 में किला नम्बर 1/2 में 0.1010 है. नहरी, 2/1 में 0.0880 है. नहरी, 10 सालम 11 सालम, 20 सालम, 21 सालम कुल 1.2010 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि के सन्दर्भ में पारित की जाकर सहकाश्तकारान के हिस्से निर्धारित किये जावें।

अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

ख. कि प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के उपरान्त तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से वादाधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में मौका पर कब्जा अनुसार, जिसके अनुसार वादी मौका पर मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 21 सालम एवं किला नम्बर 20 में लगभग 4 बिस्वा कृषि भूमि पर काबिज काश्त है, का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर उक्त भूमि विभाजन में वादी को दिये जाने की अन्तिम डिक्री जारी की जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं अलग अलग जमाबन्दी में इन्द्राज किया जाकर विभाजन में आयी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता एवं सिंचाई सुविधा की व्यवस्था कायम की जावे।

ग. अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद वादी हो अतः फरमायी जावे।

घ. वाद का व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से दिनांक 26.08.2020 को इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार मद संख्या 4 वाद पत्र में अंकित तथ्यों से कोई विरोधाभास नहीं है। प्रतिवादी मुजीब के कब्जा में मौका विभाजन अनुसार मुरब्बा नम्बन 19 का किला नम्बर 20 में वादी के कब्जा काश्त की 4 बीघा भूमि के साथ चिपती हुई 0.150 हैक. भूमि आयी है जिस पर प्रतिवादी मुजीब काबिज है एवं विभाजन में उक्त मुरबा नम्बर 19 का किला नम्बर 20 में 0.150 हैक. अपने हिस्सा की भूमि का अंकन अपने नाम से दर्ज करवाकर पृथक जमाबंदी तैयार करवाने एवं पृथक लगान निर्धारित करवाने का अधिकारी है। लिहाजा जवाब वाद पत्र प्रस्तु कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर विभाजन की डिकी पारित किये जाने में प्रतिवादी मुजीब को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी मुजीब को विभाजन में तहसील व जिला श्रीगुंगानगर के चक 16 एमएल का खाता संख्या 34/62 का मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 20 में 0.150 हैक. भूमि दी जाकर पृथक जमाबंदी तेयार की जावे एवं पृथक लगान निर्धारित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के समन्न अखबार में साया आने पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के वाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध दिनांक 20.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

प्रकरण मे बहस सुने जाने के पश्चात् वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक भू.अ./3926 दिनांक 03.112020 के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर लिखित अनापत्ति दर्ज

Scanned with CamScanner

करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

—:: आदेश ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम खातेदार	रकबा का विवरण
1	सुरेश शाह पुत्र शिवप्रसाद शाह जाति अग्रवाल साकिन आर.एस.बी. श्रीगंगानगर (वादी)	चक 16 एमएल मु.नं. 19 कि.नं. 20(.047), 21(0.253) कुल 0.300 हैक. नहरी
2	मुकेश शाह पुत्र शिवप्रसाद शाह जाति अग्रवाल साकिन आर.एस.बी. श्रीगंगानगर (प्रतिवादी सं. 1—2—4 से 8 व 10)	चक 16 एमएल मु.नं. 19 कि.नं. 20(.206 हैक. उत्तरी), 11(0.095 हैक)(दक्षिणी) कुल 0.301 हैक. नहरी
3	देवीलाल साहबराम पिसरान बहादर राम ब.हि.ब. जाति कुम्हार सा. जण्डवाला हनवंता(पंजाब) (प्रतिवादी संख्या 9 व 11)	चक 16 एमएल मु.नं. 19 कि.नं. 11(.158 हैक. उत्तरी), 10(0.142 हैक)(दक्षिणी) कुल 0.300 हैक. नहरी
4	सुनील कुमार गोयल पुत्र निरंजनलाल गोयल जाति अग्रवाल निवासी आर. क्यू 12 श्रीगंगानगर (प्रतिवादी संख्या 12)	चक 16 एमएल मु.नं. 19 कि.नं. 10(.111हैक. उत्तरी), 1/2(0.039 हैक)(दक्षिणी) कुल 0.150 हैक. नहरी
5	चन्द्रप्रकाश पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासी सेक्टर 2 हनुमानगढ जंक्शन (प्रतिवादी संख्या 3)	चक 16 एमएल मु.नं. 19 कि.नं. 1/2(.062 हैक. उत्तरी), 2/1(0.088 हैक)(दक्षिणी) कुल 0.150 हैक. नहरी

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

आदेश आज दिनाक 09.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner